न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 189/2017

1. अंकित गोदारा पुत्र श्री सहदेव गोदारा जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. औमप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र श्री बीरबल राम जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सहदेव पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सहदेव जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती राजकमल पत्नी श्री रविन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. मन्जू पुत्री श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 7

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 05.10.2017**

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का दादा है तथा प्रतिवादी संख्या 2–3 वादी के पिता व माता, प्रतिवादीगण संख्या 4–5 वादी के चाचा, चाची है तथा प्रतिवादिया संख्या 6 वादी की भुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के वंशज हैं।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के नाम से चक 1 एल.एन.पी व चक 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 1 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 6, 9, 10, 27 की कुल 2.981 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वाके चक 3 एल.एन.पी के खाता संख्या 34 के मुरब्बा नम्बर 19 व 30 की 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से मुरब्बा नम्बर 19 की 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विरासतन प्राप्त व पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई सम्पत्ति है जो कि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दीयां संलग्न वाद पत्र है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

इस प्रकार उक्त सम्पत्ति जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादी व प्रतिवादीया संख्या 3, 5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के साथ हक बनता है। प्रतिवादीया संख्या 7 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उसने अपना हिस्सा वादी को देने के लिए कहा हुआ है तथा अपने हिस्सा का मौखिक हक परित्याग किया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को चक 1 एल.एन.पी के खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 27 की 0.959 हैक्टर कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा देगें। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 16.09.2017 प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2, वादी को हक व न्याय नही देना चाहते है। यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 1 एल.एन.पी के खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 27 की 0.959 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 03.10.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री संजय कुमार जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की पहचान श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है :–

1. वादी अंकित गोदारा व प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश उर्फ जगदीश (बहिब) का हिस्सा :– चक 1 एल.एन.पी. का खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 27 की 1.918 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 2 सहदेव का हिस्सा :– चक 3 एल.एन.पी. का खाता संख्या 34 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 (1.265), 16, 25 (0.506) कुल 1.771 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 30 की 0.379 हैक्टर कुल 2.150 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादिया संख्या 3 श्रीमती सुनीता का हिस्सा :– चक 3 एल.एन.पी. का खाता संख्या 34 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 3, 8, 13, 18 (1.012) कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

लगातार 3

4. प्रतिवादी संख्या 4 रविन्द्र कुमार का हिस्सा :– चक 3 एल.एन.पी. का खाता संख्या 34 का मुरब्बा नम्बर 19 का किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (1.265), 2, 9, 12, 19, 22 (1.265), 23 (0.253) कुल 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।
5. प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती राजकमल का हिस्सा :– चक 1 एल.एन.पी. का खाता संख्या 8 का मुरब्बा नम्बर 6, 9, 10 की कुल 1.063 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

उक्त वर्णित अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान (वादी एवं प्रतिवादीगण) को कोई उजर वा एतराज ना होगा। राजीनामा प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्वि व साब्ते अक्ल के तहरीर करवा कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये है ताकि वक्त जरूरत काम आवे।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 8/5 प्रतिवादी संख्या 1 की तथा चक 3 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 34/4 में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है जो पैतृक सम्पत्ति होनें के कारण वाद वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत चक 1 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8/5 की कुल 2.981 हैक्टर भूमि में से वादी अंकित गोदारा को 0.959 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 1 औम प्रकाश उर्फ जगदीश को 0.959 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 5 राजकमल को 1.063 हैक्टर तथा चक 3 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/4 में प्रतिवादी संख्या 2 सहदेव पुत्र औम प्रकाश को 2.150 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुनिता पत्नि सहदेव को 1.012 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी सख्या 1 अंकित गोदारा पुत्र श्री सहदेव गोदारा जाति बिश्नोई साकिन 3 एल. एन.पी. तथा प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र श्री बीरबलराम जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी. का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एल.एन. पी.	8/5	27	13/2 का 0.134, 14/2 का 0.133, 15/2 का 0.133, 16/.253, 17/.253, 18/.253, 23/.253, 24/.253, 25/.253	1.918 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन

2. प्रतिवादी सख्या 2 सहदेव पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एल.एन. पी.	34/4	19	4/.253, 7/.253, 14/.253, 16/.253, 17/.253, 24/.253, 25/.253	1.771 हैक्टर
		30	1/.253, 2/1 का 0.126	0.379 हैक्टर
कुल भूमि				2.150 हैक्टर

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी

3. प्रतिवादी सख्या 3 सुनीता पत्नी श्री सहदेव जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एल.एन. पी.	34/4	19	3/.253, 8/.253, 13/.253, 18/.253,	1.012 हैक्टर

4. प्रतिवादी सख्या 4 रविन्द्र कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन. पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/4 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 2.783 हैक्टर भूमि पूर्व में ही दर्ज है।

5. प्रतिवादी सख्या 5 श्रीमती राजकमल पत्नी श्री रविन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन 3 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एल.एन. पी.	8/5	6	21/1 का 0.063, 22/1 का 0.051	0.114 हैक्टर
		9	1/.253, 10/.253	0.506 हैक्टर
		10	5/1 का 0.190, 6/.253	0.443 हैक्टर
कुल भूमि				1.063 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.10.2017 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर